




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

संग्राहक महती वगैरह बनाम बहादुर महती वगैरह

No/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
0-11-17	<p>अभिलेख सं०-एम.....)53.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी लसाड के अप्राथमिकी सं०-48/17 दिनांक-02-11-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि घर का डोंगन में घेय करने के संबंध में समय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संग्राहना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या समय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर समय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। समय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 15-12-17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
15-12-17	<p style="text-align: center;">अभिलेख उपस्थापित समय पक्ष उपस्थित समय पक्ष उक्त कार्रवाई की दिनांक 05-01-18 को 22वें</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  15/12/17 </div>	

दिनांक

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

आभिलेख उपस्थापित प्रथम पल

क्रमांक ०२ उपस्थित अन्य अधिवक्ता
हाजरी दिनांक पल क्रमांक ०२ उपस्थित
क्रमांक ०१ अनुपस्थित । प्रथम पल गवर्णी
द्वे दिनांक ०८-०६-१८ को रखे ।

21/5/18

08-06-18

आभिलेख उपस्थापित । प्रथम पल
क्रमांक ०२ उपस्थित क्रमांक ०१ अधिवक्ता
हाजरी । दिनांक पल क्रमांक ०२ उपस्थित
क्रमांक ०१ अनुपस्थित । प्रथम पल गवर्णी
द्वे दिनांक २२-०६-१८ को रखे ।

22-06-18

आभिलेख उपस्थापित । प्रथम पल अधिवक्ता
हाजरी दिनांक पल क्रमांक ०२ उपस्थित क्रमांक ०१
अनुपस्थित । उक्त वाद में ६ (छ) माह की अवधि
पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया
है । उक्त वाद में आभिलेख की कारवाई बन्द
की जाती है ।

22/6/18